भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 3389

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 12 दिसम्बर, 2014/21 अग्रहायण, 1936 (शक) को दिया गया)

<u>कारपोरेट प्रशासन मानदंड</u>

3389. डा. एम. सम्पत :
श्रीमती संतोष अहलावत :
श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कारपोरेट प्रशासन मानदंड की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) देश में कारपोरेट प्रशासन को अधिक सरल, जवाबदेह, पारदर्शी तथा प्रजातांत्रिक बनाने के लिए विद्यमान कानूनों में संशोधनों सहित सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार ने सरकारी तथा निजी क्षेत्र की कंपनियों के कारपोरेट बोर्डों में महिला निदेशकों को शामिल करने/अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए कंपनी अधिनियम में संशोधन किया है/संशोधन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में प्रशासनिक पदों में महिला कार्यकारियों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ड.) क्या सरकार को 2 प्रतिशत कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) मानदंड में संशोधन करने के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरुण जेटली)**

(क) और (ख) : कंपनी अधिनियम, 2013 ने भारत में कंपनियों में कारपोरेट शासन को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से विभिन्न उपबंध सम्मिलित किए हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ बोर्ड और इसकी समितियों जैसे लेखापरीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के लिए अधिक उत्तरदायित्व, अधिक प्रकटीकरण, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता व दायित्व सुनिश्चित करने के लिए बेहतर मानक, निवेशक सुरक्षा का बेहतर स्तर आदि शामिल हैं।

(ग) और (घ) : अधिनियम और इसके तहत बने नियमों के अनुसार यह अनिवार्य है कि एक हजार करोड़ या अधिक की शेयरपूंजी अथवा तीन हजार करोड़ या अधिक के कारोबार वाली सूचीबद्ध कंपनी और असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी के लिए निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक नियुक्त करना आवश्यक है।

(ड.) और (च) : जी, नहीं। सरकार को 2% के कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) मानकों को संशोधन करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

*****